न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -44/2022

अनवान

दीपक पुत्र राधेश्याम मजी, जाति लखारा, उम्र 35 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी रामनगर, प०ह० गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, हाल निवास लाम्बाखोह, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी, राजस्थानं

-वादीया

बनाम

1. श्रीमती देवकन्या पुत्री हजारी लाल पत्नी मदनलाल जी लखारा, जाति लखारा, आयु 66 वर्ष, निवासी गोठड़ा, जिला बून्दी, राजस्थान।
2. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री हजारीलाल पत्नी रतनलाल जी लखारा, जाति लखारा, आयु 60 वर्ष, निवासी मकान नं. 3/50 पटेलनगर विस्तार, भीलवाड़ा, राजस्थान।
3. सब रजिस्ट्रार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी
श्री पेरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 03

निर्णय दिनांक 28.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त अनवान का एक वादपत्र वादी प्रार्थी ने विपक्षी प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत कर दिया है जो निश्चित रूप से प्रार्थी वादी के पक्ष में निर्णित होगा परन्तु निर्णय होकर डिक्री होने में समय लगेगा इसलिए यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित केस हैं। ग्राम रामनगर प०ह० गोपालपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमियां स्थित है जो जमाबन्दी संवत् 2076-79 की खाता संख्या 23 पर खसरा संख्या 130, रकबा 0.75 है0, लगान 3.75 पैसा, खसरा संख्या 139, रकबा 1.09 है0, लगान 6.54 पैसा, खसरा संख्या 140, रकबा 0.01 है0, आ.चाह, खसरा संख्या 141, रकबा 3.39 है0, लगान 13.56 पैसा, कुल किता 4 कुल रकबा 5.24 है0 कुल लगान 23.85 पैसा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमियां पुश्तैनी होकर स्व0 हजारीलाल जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी। स्व0 हजारीलाल जी का स्वर्गवास हो जाने से यह कृषि भूमियां उनके उत्तराधिकारीगण भैरूलाल, राधेश्याम, घनश्याम,देवकन्या तथा प्रेमबाई के नाम बराबर बराबर 1/5 हक व हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड हुई अर्थात् प्रार्थी एवं विपक्षीगण 1 व 2 संयुक्त व सामलाती रूप से काबिज होकर इन आराजी जैर बहस पर काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे है। जिनका बंटवारा होना शेष है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:-

हजारीलाल (फौत)

भैरूलाल | राधेश्याम (फौत) रामजोत (पत्नी) | [illegible] (फौत) प्रेमबाई (| [illegible] | प्रेमबाई

नीलम नन्द[illegible]र सुनील सूरज

दीपक मधु टोनिका ललिता शीला विकास मेघना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.19 13:41:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

स्व0 हजारीलाल जी के पांच सतांने है जिनमें तीन पुत्र दो पुत्रियां जिनके प्रत्येक के हिस्से में उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 1/5, 1/5 हक व हिस्से से कृषि भूमियां खातेदारी में दर्ज हुई। स्व0 हजारीलाल जी के पुत्रों में से पुत्र राधेश्याम फौत हो गया जिनके वारिसान उक्त वर्णित सजरे में अंकित है। इसी प्रकार पुत्र स्व. घनश्याम फोत हो गया जिसके वारिसान भी उक्त वर्णित सजरे में अंकित है जिनके नाम उक्त कृषि भूमियों का नामतरण खुलकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो चुका हैं स्व0 हजारी लाल जी की पुत्रियां श्रीमती देवकन्या व्र प्रेमबाई दोंनो का विवाह हो वह अपने ससुराल में रह रही है जिनका इन कृषि भूमियों से कोई लेना-देना नहीं है तथा वे इन कृषि भूमियों पर काबिज भी नहीं हे एव इन कृषि भूमियों के एवज में प्रार्थी ने उक्त दोनों पुत्रियों को डेढ़-डेढ लाख रूपयें नगद राशि के रूप में छह माह पूर्व ही अदा कर दिये है। श्रीमती देवकन्या एवं प्रेमबाई रिश्ते में वादी की बुआ लगती है। जिनके सामाजिक समस्त कार्यक्रमों का निर्वहन भी प्रार्थी करता चला आ रहा हैं। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 श्रीमती देवकन्या व प्रेमबाई के मन में उक्त कृषि भूमियों को लेकर लालच व बदयांति आ गई है तथा वह इन आराजी जैर बहस को खुले आम विक्रय करने की धमकियां दे रही है तथा वे किसी भी वक्त कृषि भूमियों का विक्रय एवं पंजीयन सब रजिस्ट्रार रावतभाटा के यहा करवा सकती है जबकि अभी इन आराजी जैर बहस का बंटवाड़ा होना शेष है तथा एक-एक इंच पर सभी खातेदारान का हक एवं कब्जा है जब तक उक्त कृषि भूमियों का बंटवाड़ा नहीं हो एवं अलग-अलग खातेदारी से दर्ज रिकॉर्ड नहीं हो तब तक इन कृषि भूमियों का पंजीयन एवं विक्रय करने से विपक्षी संख्या 01 व 02 वं विपक्षी संख्या 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे इन आराजी जैर बहस का पंजीयन एवं विक्रय किसी भी दिगर व्यक्ति को नहीं करे व विपक्षी संख्या 03 उक्त कृषि भूमियों का पंजीयन किसी भी सूरत में नहीं करे इस आशय से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 03 पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया। जवाब अनुसार ग्राम रामनगर प0ह0 गोपालपुरा के खसरा संख्या 130, 139, 140, 141 कुल किता 5.24है0 भूमि विवादित होकर न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रकरण के बिन्दू संख्या 1 एवं 10 में वर्णित कथन राजस्व रिकार्ड एवं भूमि के बंटवाडा संबंधित है। प्रकरण में सब रजिस्टार रावतभाटा को पक्षकार बनाया गया है। इस क्रम में प्रार्थी न्यायालय श्रीमान से अपने प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना चाहता है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते की ग्राम रामनगर प0ह0 गोपालपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमियां स्थित है जो जमाबन्दी संवत् 2076-79 की खाता संख्या 23 पर खसरा संख्या 130, रकबा 0.75 है0, लगान 3.75 पैसा, खसरा संख्या 139, रकबा 1.09 है0, लगान 6.54 पैसा, खसरा संख्या 140, रकबा 0.01 है0, आ.चाह, खसरा संख्या 141, रकबा 3.39 है0, लगान 13.56 पैसा, कुल किता 4 कुल रकबा 5.24 है0 भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण व अन्य के मध्य राजस्व रिकार्ड में बंटवाडा नहीं किया गया, किन्तु विपक्षी संख्या 01 व 02 उक्त आराजीयात पर काबिज नहीं है वह अपने ससुराल में रहती है, तथा इन आराजीयात के बदले हमने नकद राशि के रूप में प्रार्थी की बुआ अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को डेढ-डेढ लाख रूपये दे दिये थे, साथ ही अप्रार्थी संख्या 1, 2 प्रार्थी की बुआ होने से समस्त सामाजिक [illegible] जाता है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1,2 के मन मे उक्त कृषि भूमियों को लेकर [illegible] यांति आ गई है तथा वह इन आराजी जैर बहस को खुले आम [illegible] बहस का बंटवाड़ा होना शेष है तथा एक-ए[illegible] है जब तक उक्त कृषि भूमियों का बंटवाड़ा नहीं हो [illegible] दर्ज रिकॉर्ड नहीं हो तब तक इन कृषि भूमियों का पंजीयन एवं विक्रय करने से विपक्षी संख्या [illegible] व 02 वं विपक्षी संख्या 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे इन आराजी जैर बहस का पंजीयन एवं विक्रय किसी भी दिगर व्यक्ति को नहीं करे व विपक्षी संख्या 03 उक्त कृषि भूमियों का पंजीयन किसी भी सूरत में नहीं करे इस आशय से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.19 13:41:02 IST
Reason: SelfAttested

रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत सम्वत 2076-79 की ग्राम ग्राम रामनगर प0ह0 गोपालपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की पर खसरा संख्या 130 रकबा 0.75 है0, खसरा संख्या 139 रकबा 1.09 है0, खसरा संख्या 140 रकबा 0.01 है0 आ.चाह, खसरा संख्या 141 रकबा 3.39 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 5.24 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, 2 व अन्य के नाम सहखातेदारी से राजस्व दर्ज रिकार्ड है, उक्त आराजीयात का प्रार्थी व समस्त सहखातेदारान का बराबर एक-एक इंच पर हक है, बंटवाडा पुर्व खातेदारान का हक हिस्सा निहित स्पष्ट होना प्रतित नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा का विचाराधीन वाद के निस्तारण पर स्थिति स्पष्ट होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक इन आराजी जैर बहस का पंजीयन एवं विक्रय किसी भी दिगर व्यक्ति को नहीं करे व विपक्षी संख्या 03 उक्त कृषि भूमियों का पंजीयन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.) सत्यमेव जयते

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.19 13:41:02 IST
Reason: SelfAttested